संख्या- 3/613/ तीस-1-2014-5(4)/14

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 16 जुलाई, 2014**

विषय- पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों के विकास हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालीफिकेशन(आर0एफ0क्यू0),रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर0एफ0पी0) व कन्सेसन एग्रीमेण्ट (सी0ए0) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-188/पी0पी0पी0/14-02प्ला0सेल/12वाल्यूम-नौ(एनएस)टी0सी02(1), दिनांक 11-06-2014, पत्र संख्या-193/पी0पी0पी0/14-02प्ला0 सेल/12वाल्यूम-नौ(एनएस)टी0सी02(1), दिनांक 27-06-2014 एवं पत्र संख्या-195/पी0 पी0पी0/14-02प्ला0सेल/12वाल्यूम-नौ(एनएस)टी0सी02(1) दिनांक 02-07-2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 10 बस स्टेशनों (आगरा फोर्ट-आगरा, ईदगाह-आगरा, ट्रान्सपोर्ट नगर-आगरा, कौशाम्बी-गाजियाबाद, रसूलाबाद-अलीगढ़, आलमबाग-लखनऊ, झकरकट्टी-कानपुर, सिविललाइन्स-इलाहाबाद, वाराणसी कैण्ट-वाराणसी एवं सोहराबगेट-मेरठ) के विकास हेतु नियमानुसार निवेशकों को अवगत कराने तथा निविदा प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालीफिकेशन (आर0एफ0क्यू0), रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर0एफ0पी0) एवं कन्सेसन एग्रीमेण्ट (सी0ए0), जो क्रमश: संलग्नक संख्या-1, संलग्नक संख्या-2 व संलग्नक संख्या-3 के रूप में संलग्न है, को निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रकरण में अवस्थापना विकास विभाग द्वारा जारी पी0पी0पी0 गाइड लाइन्स एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

http://shasnadeshup.nic.in

(2) उक्त परियोजना के संचालन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई देयता उत्पन्न होती है तो उसका वहन उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि/सहायता नहीं दी गयी जायेगी।

3- अत: अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in